

न्यायालय उप जिलाधिकारी, छाता । मयूरा ।

वाच सं०: १० वर्ष २००५-०५

बी.एल.छावरिया जनरल मैनेजर गिन्नी फिलामिन्ट लि०

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

मीजा छाता सहस्रील छाता । मयूरा ।

अंतर्गत धारा १५३ जेड-ए.एल.आर.एक्ट

शुद्धि

धारा १५३ जेड-एल.आर.एक्ट के अंतर्गत बी.एल.छावरिया पुत्र स्व० बागदमल छावरिया जनरल मैनेजर गिन्नी फिलामिन्ट लि०, छाता ने प्रार्थना पत्र इस अधिवक्ता के साथ प्रस्तुत किया कि मीजा छाता आराखी छाता संख्या ५९१ बसरा संख्या २२२ मि० रकबा २-८६ एकड़ १-१५९ हेक्टेयर के सैमनीय मृमिधर मानिक व काकिल यमीन है। उक्त मृमि पर कृषि अथवा इससे संबंधित कार्य नहीं किया जा रहा है और पर खाली है और बतौर आबादी प्रयोजन में लाई जा रही है। इसलिये उक्त मृमि को आबादी घोषित कर दिया जावे। उक्त कथन के समर्थन में अपना रागधर नकल बतौर १५१२ फसली व कातीनी १५०८ लगायत १५१३ फसली की प्राप्ति को लगान किया है। उक्त प्रकरण की स्थानीय जांच नायब सहस्रीलदार छाता से कराई गयी । नायब सहस्रीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक - २८-१२-२००४ को प्रस्तुत की है जो कि प्रमाणों पर संशय है।

प्रकरण में जांच अधिकारी/नायब सहस्रीलदार ने जांचोपरान्त अपनी जांच में यह उल्लेख किया है कि बसरा संख्या २२२ मि० रकबा २-८६ एकड़ मृमि का प्रार्थी बतौर सैमनीय मृमिधर काकिल यमीन है। उक्त मृमि कृषि अथवा कृषि से संबंधित किसी भी प्रयोजन में नहीं है अपितु आबादी के प्रयोजन में आ रही है। जांच जांच में उक्त मृमि को आबादी घोषित किए जाने की संसुति की गई है।

जो कि जांच अधिकारी/नायब सहस्रीलदार की जांच जांच एवं लगान कागजात से यह समाधान हो जाता है कि बसरा संख्या २२२ मि० रकबा २-८६ एकड़ मृमि के सैमनीय मृमिधर काकिल यमीन है और प्रार्थी द्वारा उक्त मृमि को कृषि अथवा इससे संबंधित किसी प्रयोजन में नहीं है। अपितु आबादी के प्रयोजन में है। अतः उक्त मृमि को आबादी निम्न प्राप्ति पर इस अंतर्गत के साथ आबादी घोषित किया जाता है कि यदि भावि में उक्त मृमि को कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में लिया गया तो पूर्ण लगान निर्धारित करने की कार्यवाही कर दी जायेगी:-

१. धारा जिसके अंतर्गत आबादी घोषित की जा रही है :-

धारा १५३ जेड-ए.एल.आर.एक्ट

२. मृमि जहाँ स्थित है:

मीजा छाता सहस्रील छाता । मयूरा ।

३. मृमि का विवरण

छाता सं० ५९१ बसरा सं० २२२ मि० रकबा २-८६ एकड़

४. मृमि का नाम

२३-५०

५. मृमिधर का नाम व पता

बी.एल.छावरिया जनरल मैनेजर गिन्नी फिलामिन्ट लि०, छाता

१ स्व० डी० यादव ।

उप जिलाधिकारी, छाता

दिनांक : २९/१२/२००४

प्रतिनिधि:

१. सहस्रीलदार/ रजिस्ट्रार कानून गो अधिवक्ता में प्रविष्टि दर्ज किए जाने हेतु
२. उप निर्बंध, छाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु

दिनांक: २९/१२/२००४



१ स्व० डी० यादव ।

उप जिलाधिकारी, छाता ।

Urgent

K.A. SH. S. SINGHRA

न्यायालय उप जिलाधिकारी, छाता & मधुरा &

वाद सी- 03 वर्ष 2004-05

मौजा छाता तहसील छाता & मधुरा &

बी०एल० छापरिया वनाम उत्तर प्रदेश सरकार

पारा- 143 ज. वि. अ. भू. व्य. अधि.

नफरत आदेश 16/02/04

प्रार्थी बी. एल. छापरिया पुत्र स्व. सागरमल छापरिया जनरल मैनेजर, गिन्नी फिल्मिण्टस लिमिटेड, छाता ने पारा 143 ज. वि. अ. / भू. व्य. अधि. से आचांक्षित अपना दावा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा छाता स्थित आराजी छाता सैख्या 591 खसरा सैख्या 222 मि० रकबा 12 एकड़ 4.856 हेक्टेयर लगान 60 का के वे स्क्रेमणीय भूमि पर दर्ज अभिलेख एवं काबिज दखील है। उक्त भूमि मौके पर खाली है और आबादी प्रयोजन में लायी जा रही है। उक्त भूमि पर कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में नहीं आ रही है। प्रकरणा की नायब तहसीलदार क्षेत्र से जांच कराई गयी। नायब तहसीलदार छाता की जांच आख्या सैलग्न 25-10-04 में यह उल्लेख किया गया है कि खसरा सैख्या 222 मि० रकबा 4.856 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी स्क्रेमणीय भूमि पर है और काबिज दखील है। यह कि उक्त भूमि कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में नहीं है। आख्या के सैलग्न खसरा 1412 फसली में भी उक्त भूमि पर किसी प्रकार के कृषि उत्पन्न का उल्लेख नहीं है। जांच अधिकारी ने उक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने हेतु अपनी आख्या प्रेषित की है।

चूंकि नायब तहसीलदार/जांच अधिकारी की आख्या से यह समाधान हो जाता है कि खसरा सैख्या 222 मि० रकबा 12 भूमि के प्रार्थी भूमि पर है और भूमि कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में नहीं है। अतः खसरा सैख्या 222 मि० रकबा 12 एकड़ अर्थात् 4.856 हेक्टेयर भूमि को पारा 143 ज. वि. अ. / भू. व्य. अधि. के तहत आबादी इस धारा के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि को कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में लिए जाने पर भू. राजस्व आदि पूर्ववत् अंकित कर दिया जावेगा।

1. पारा जिसके अंतर्गत आबादी घोषित की जा रही है: पारा 143 ज. वि. अ. एवं भू. व्य. अधिनियम
2. भूमि जहां स्थित है: मौजा छाता तहसील छाता
3. भूमि का विवरण: खसरा सैख्या 222 मि० रकबा 4.856 हेक्टेयर 101.25 मे० गिन्नी फिल्मिण्ट लि० छाता द्वारा जनरल मैनेजर बी०एल० छापरिया पुत्र सागरमल छाता नि० गिन्नी फिल्मिण्ट छाता तहसील छाता & मधुरा &
4. भू. राजस्व
5. भूमि पर का नाम व पता



रचो डी० यादव &
उप जिलाधिकारी, छाता

प्रतिलिपि: तहसीलदार छाता को भू. राजस्व अभिलेख में इन्ड्रज कराने हेतु
प्रतिलिपि: उप निबंधक छाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु

रचो डी० यादव &
उप जिलाधिकारी, छाता